न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2024/113
मुकदमा नम्बर 25/2024 दर्ज दिनांक–05.03.2024

1. प्रदीप सिंह पुत्र मोहन सिंह
2. प्रेम कंवर पत्नी मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चिराना, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू(राज.)

बनाम

1. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुंनू
2. रामप्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत निवासी ग्राम चिराना,तहसील नवलगढ

वकील आवेदक :– श्री अशोक कुमार जांगिड
वकील अनावेक सं. 1 :– पैरो. राज.
वकील अनावेक सं. 2 :– एक पक्षीय

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 19-11-2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 1265 रकबा 0.87 है0, खसरा नं. 1266 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1267 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1268 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 1269 रकबा 0.35 है0 कुल खसरा नम्बरान 5 कुल रकबा 1.56 है0 में सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1. की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज व्यक्त नही किया गया। अनावेदक सं. 2 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2023 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 1265 रकबा 0.87 है0, खसरा नं. 1266 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1267 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1268 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 1269 रकबा 0.35 है0 कुल खसरा नम्बरान 5 कुल रकबा 1.56 है0 में सीमाज्ञान दिनांक 04.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19-11-2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

PM

Scanned with CamScanner